

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

Tele No.:+91-141-2222403

Fax No.: +91-141-222403

web site: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: डीएलबी/सीएमएआर/कार्य./2016/

दिनांक:

महापौर/सभापति

आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी

मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता


नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका

अजमेर, विजयनगर(अ), किशनगढ़, ब्यावर, पुष्कर, आसीन्द, अलवर, खेड़ली, बहरोड़, भिवाड़ी, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बारां, छबड़ा, बालोतरा, बाड़मेर, भरतपुर, डींग, भीलवाड़ा, भीण्डर, गंगापुर, बीकानेर, देशनोक, नोखा, डूंगरगढ़, बून्दी, केश्वरायपाटन, चित्तौड़गढ़, सलूमबर, सरवाड़, सुरजगढ़, उनियारा, निम्बाहेड़ा, तारानगर, चुरू, रतननगर, सुजानगढ़, दौसा, बान्दीकुई, धौलपुर, बाड़ी, डूंगरपुर, सांगवाड़ा, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, जयपुर, फुलेरा, सांभर, जोबनेर, विराटनगर, जैसलमेर, पोकरण, जालौर, भीनमाल, झालावाड़, झालरापाटन, रामगढ़ शेखावटी, झुन्झुनूं, बग्गड़, पिलानी, विद्याविहार, बिसाऊ, छापर, खेतड़ी, जोधपुर, फलौदी, हिण्डौन सिटी, करौली, कोटा, कैथून, नागौर, नावां, मण्डावा, मकराना, परबतसर, पाली, कनोड़, सुमेरपुर, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, राजसमंद, नाथद्वारा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, सीकर, खण्डेला, सिरोही, आबू रोड़, सुरतगढ़, श्रीगंगानगर, गजसिंहपुर, विजयनगर(ग), पदमसिंहपुर टोंक, देवली, उदयपुर, फतेहनगर।

विषय:— दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित की जाने वाली एक दिवसीय कार्यशाला के संबंध में।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना (MJSY Urban), स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 एवं विशेष स्वच्छ नगर अभियान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। कार्यशाला में राज्य के अमृत योजना में चयनित 29 शहर, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में चयनित राज्य की 66 नगरीय निकाय, दिसम्बर 2016 तक खुले में शौच मुक्त घोषित की जाने वाली 33 नगरीय निकायों के महापौर, सभापति एवं आयुक्त, अधिकाधी अधिकारी, मुख्य अभियन्ता, अधिकाधी अभियन्ता के क्षमता संवर्द्धन एवं विकास योजनाओं की प्रगति एवं सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया जाना है।

कार्यशाला में नगरीय निकायों के निकाय प्रमुख (महापौर/सभापति) आयुक्त व अधिशाषी अधिकारी एवं तकनीकी सेवा के उच्च पद कार्यकरत अधिकारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करावें। यदि तकनीकी सेवा के अधिकारी कार्याशाला में उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से निदेशक महोदय से अनुमति प्राप्त करें। कार्यक्रम का विस्तृत विवरण पृथक से भिजवाया जायेगा।



(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक: डीएलबी/सीएमएआर/कार्य./2016/5439-5449

दिनांक: 09/09/2016

प्रतिलिपी सूचनार्थ हेतु:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
02. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
03. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) समस्त राजस्थान कार्यशाला में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करावें।
04. सुरक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक